

17⁶/₂₅

पत्रावली पेश। वकील वादी व वादी को
आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज
लगाने के बावजूद भी वकील वादी व
वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने
पर वादी का वाद अदम हाजुरी अदम
परवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली
फेरनल शुमार होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी
दातारामगढ़ (सीकर)